

R.C.T. 47/2020

**न्यायालय :- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सनावद,
जिला पश्चिम निमाड मण्डलेश्वर (म0प्र0)
(समक्ष- पूर्वी तिथारी)**

(निर्णय दिनांक :- 09.10.2023)

आपराधिक प्रकरण क्र.-108 / 2020

फाईलिंग नं.- 156 / 2020

सी.एन.आर.नं.-M.P.100600-0138-2020

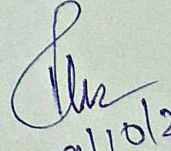
संस्थित दिनांक-28.02.2020

**(प्रथम सूचना रिपोर्ट / अपराध क्रमांक 279 / 2019 और पुलिस
थाना सनावद, जिला खरगोन म.प्र.)**

शिकायतकर्ता	मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र सनावद, जिला-खरगोन
शासन द्वारा प्रतिनिधित्व	सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री संतोष करोले
अभियुक्तगण	01. अतिक पिता हनीफ, उम्र-36 वर्ष, निवासी- मिर्जा मोहल्ला, सनावद 02. सोहेल अहमद पिता जाहिद, उम्र-28 वर्ष, निवासी-भील मोहल्ला, सनावद 03. अजहर पिता अजगर, उम्र-27 वर्ष, निवासी-कोर्ट के पास, सनावद 04. रियाज पिता इकबाल बेग, उम्र-41 वर्ष, निवासी-अंजुमन बिल्डिंग सनावद, तहसील सनावद, जिला खरगोन (म.प्र.)
अभियुक्तगण रियाज व अजहर द्वारा प्रतिनिधित्व	श्री आशीष मिश्रा अधिवक्ता।
अभियुक्तगण अतिक व शोएब द्वारा प्रतिनिधित्व	श्री के.आर. सोनोने अधिवक्ता।

फार्म-बी

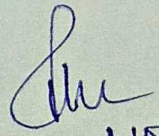
अपराध की तारीख	29.06.2019
----------------	------------


9/10/23
(पूर्वी तिथारी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
सनावद प.नि.

प्रथम सूचना रिपोर्ट की तारीख	29.06.2019
आरोप-पत्र की तारीख	28.02.2020
आरोपों के विरचना की तारीख	13.04.2023
साक्ष्य प्रारम्भ किये जाने की तारीख	08.09.2023
निर्णय सुरक्षित किये जाने की तारीख	09.10.2023
निर्णय की तारीख	09.10.2023
दण्डादेश, यदि कोई हो, की तारीख	धारा-323 भा.दं.सं के अंतर्गत न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 1000/- रुपये का अर्थदण्ड

अभियुक्तगण का विवरण

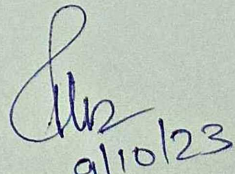
अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी/ धारा-41 द.प्र.सं. के सूचना पत्र की तारीख	जमानत पर रिहा किये जाने की तारीख	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्ति या दोषसिद्धि	अधिरोपित दण्डादेश	धारा 428 दं. प्र.सं. के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गई निरोध की अवधि
01.	01. अतिक पिता हनीफ	16.09.2019	16.09.2019	294, 323/34 (2 काउंट), 427, 452, 506 भा.दं. सं.	धारा-323 भा.दं.सं. के अंतर्गत दोषसिद्ध	न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 1000/- रुपये का अर्थदण्ड	कुछ नहीं।
02.	02. सोहेल अहमद पिता जाहिद	16.09.2019	16.09.2019	294, 323/34 (2 काउंट), 427, 452, 506 भा.दं. सं.	धारा-323 भा.दं.सं. के अंतर्गत दोषसिद्ध	न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 1000/- रुपये का अर्थदण्ड	कुछ नहीं।


 9/10/23
 (पूर्वी सिवारी)
 न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
 सनावद प. नि

03.	अजहर पिता अजगर	30.06.2019	05.07.2019	294, 323 / 34 (2 काउंट), 427, 452, 506 भा.दं. सं.	धारा-323 भा.दं.सं. के अंतर्गत दोषसिद्ध	न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 1000 / - रुपये का अर्थदण्ड	दिनांक 01. 07.2019 से दिनांक 05. 07.2019 तक कुल 04 दिन
04.	रियाज पिता इकबाल बेग	17.09.2019	17.09.2019	294, 323 / 34 (2 काउंट), 427, 452, 506 भा.दं. सं.	धारा-323 भा.दं.सं. के अंतर्गत दोषसिद्ध	न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 1000 / - रुपये का अर्थदण्ड	कुछ नहीं।

प्रारूप-चअभियोजन / प्रतिरक्षा / न्यायालयीन साक्षियों की सूची

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी अन्य साक्षी)
अ.सा. 1	अमित	फरियादी
अ.सा. 2	ज्योति	आहत्
अ.सा. 3	दीपिका	चक्षुदर्शी साक्षी
अ.सा. 4	शाबीर	पहचान साक्षी
अ.सा. 5	इकबाल	पहचान साक्षी
अ.सा. 6	जाकीर	पहचान साक्षी
अ.सा. 7	अब्दुल हमिद	गिरफ्तारी साक्षी
अ.सा. 8	शोएब	गिरफ्तारी साक्षी
अ.सा. 9	आमीर	गिरफ्तारी साक्षी
अ.सा. 10	डॉ. राजेश कुमार	चिकित्सक साक्षी


 9/10/23
 (पूर्वी तिथारी)
 न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
 सनातन पं.

अ.सा. 11	शकुंतला डोडवे	विवेचक साक्षी
----------	---------------	---------------

ख. प्रतिरक्षा साक्षी, यदि कोई हो :-

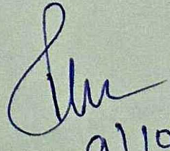
श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी अन्य साक्षी)
निरंक		

ग. न्यायालयीन साक्षी, यदि कोई हो :-

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी अन्य साक्षी)
निरंक		

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन प्रदर्शों की सूची :-

स. कं.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	प्रदर्श पी.1/अ.सा.1	प्रथम सूचना रिपोर्ट
2	प्रदर्श पी.2/अ.सा.1	नक्शा-मौका
3	प्रदर्श पी.3/अ.सा.1	नुकसानी पंचनामा
4	प्रदर्श पी.4/अ.सा.2	साक्षी ज्योति के पुलिस कथन
5	प्रदर्श पी.5/अ.सा.4	तस्दीक पंचनामा
6	प्रदर्श पी.6/अ.सा.4	अंजुमन ईस्लाम कमेटी का लैटर पैड का आवेदन
7	प्रदर्श पी.7/अ.सा.4	साक्षी जाकीर खान का पुलिस कथन
8	प्रदर्श पी.8/अ.सा.5	साक्षी शाबीर खान का पुलिस कथन
9	प्रदर्श पी.9/अ.सा.6	साक्षी इकबाल शेख का पुलिस कथन
10	प्रदर्श पी.9/अ.सा.6	साक्षी इकबाल शेख का पुलिस कथन
11	प्रदर्श पी.10/अ.सा.7	गिरफ्तारी पत्रक
12	प्रदर्श पी.11/अ.सा.8	गिरफ्तारी पत्रक
13	प्रदर्श पी.12/अ.सा.8	गिरफ्तारी पत्रक
14	प्रदर्श पी.13/अ.सा.10	आहत् अमित की मेडिकल रिपोर्ट
15	प्रदर्श पी.14/अ.सा.10	आहत् ज्योति की मेडिकल रिपोर्ट


 9/10/23
 (पूर्वी तिथि)
 न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
 सनावद प. नि

ख. प्रतिरक्षा

स. कं.	प्रदर्श संख्या	विवरण
निरंक		

ग. न्यायालयीन प्रदर्श

स. कं.	प्रदर्श संख्या	विवरण
निरंक		

घ. आवश्यक वस्तुएं

सं. कं.	भौतिक सामग्री संख्या	विवरण
निरंक		

// निर्णय //

01. अभियुक्तगण अतिक, सोहेल, अजहर, रियाज पर भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा-294, 323/34 (2 काउंट), 427, 452, 506 के अंतर्गत आरोप है कि उन्होंने दिनांक-19.06.2020 को लगभग रात्रि 09:30 बजे, पुलिस थाना सनावद अन्तर्गत, राजमंदिर गली स्थित फरियादी अमित के घर के बाहर लोकस्थान के समीप फरियादी अमित को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे एवं अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया, आहतगण अमित, ज्योति से मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित किया और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में आहतगण अमित, ज्योति के साथ पत्थर से मारपीट कर उन्हें स्वेच्छया उपहति कारित की, फरियादी अमित की मोटरसायकल एवं आहत ज्योति के घर के कूलर, पंखे, अलमारी में तोड़-फोड़ कर रिष्टि कारित की, फरियादी ज्योति को उपहति कारित करने की तैयारी से प्रवेश कर गृह-अतिचार कारित किया एवं फरियादी अमित को संत्रास कारित करने के आशय से उसके घर में आग लगाने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

02. प्रकरण में महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य कुछ नहीं है।

03. अभियोजन कथा के अनुसार फरियादी अमित ने दिनांक 29.06.2019 को थाना सनावद में उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि उक्त दिनांक को रात्रि लगभग 09:15 बजे वह खाना खाकर घर के बाहर खड़ा था, तभी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए कुछ लोग भीड़ में उसके घर के सामने आये और फरियादी के घर पर पत्थर फेंकना चालू कर दिया, तब फरियादी ने अपने घर के अंदर घुसकर चैनल गेट लगा लिया। भीड़

(पूर्वी तिथि)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
सनावद, प.नि.

में रियाज, मुबारिक, शाहरूख, अतिक, सोहेल, आरिफ, आमीर, भय्यू थे, जिन्हें फरियादी जानता है। पथराव में फरियादी को दाहिने पैर की पिंडली में चोट आयी है। फरियादी के घर के सामने ज्योति वर्मा को भी पथराव में चोट आयी थी। फरियादी के अनुसार भीड़ में लोग कह रहे थे कि अमित वर्मा ने कोई फेसबुक पर पोस्ट की है, जिसके कारण वह उनके घर पर पथराव कर रहे हैं। भीड़ ने फरियादी की मोटरसायकल और ज्योति वर्मा के घर में घुसकर अन्य सामान की तोड़-फोड़ करके नुकसान पहुंचाया था। फरियादी की मौखिक शिकायत के आधार पर थाना सनावद द्वारा अभियुक्तगण अतिक, सोहेल, अजहर, रियाज के विरुद्ध अपराध क्रमांक 279/2019 पंजीबद्ध कर प्रकरण को विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान साक्षीगण के कथन उनके बताये अनुसार लेख किये गये, अभियुक्तगण अतिक, सोहेल, अजहर, रियाज को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक निर्मित किया गया, आहत अमित का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया, फरियादी की निशादेही पर घटनास्थल का नक्शामौका निर्मित किया गया और आवश्यक अनुसंधान पश्चात् अभियुक्तगण अतिक, सोहेल, अजहर, रियाज के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा- 294, 323/34, 427, 452, 506 का अपराध पाये जाने से अपराध कायम कर, विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में दिनांक-28.02.2020 को प्रस्तुत किया गया।

04. अभियुक्तगण अतिक, सोहेल, अजहर, रियाज को आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये जाने पर उन्होंने अपराध किये जाने से इंकार करते हुए विचारण की मांग की है तथा धारा-313 दं.प्र.सं. के परीक्षण के अंतर्गत स्वयं को निर्दोष बताते हुए प्रकरण में झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया है। अभियुक्तगण अतिक, सोहेल, अजहर, रियाज ने उनके बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है।

05. प्रकरण के समुचित निराकरण हेतु न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु है:-

01. क्या अभियुक्तगण अतिक, सोहेल, अजहर, रियाज ने दिनांक-19.06.2020 को लगभग रात्रि 09:30 बजे, पुलिस थाना सनावद अन्तर्गत, राजमंदिर गली स्थित फरियादी अमित के घर के बाहर लोकस्थान के समीप फरियादी अमित को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे एवं अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया ?

02. क्या अभियुक्तगण अतिक, सोहेल, अजहर, रियाज ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर आहतगण अमित, ज्योति से मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित किया और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में आहतगण अमित, ज्योति के साथ पत्थर से मारपीट कर उन्हें स्वेच्छया उपहति कारित की ?

[Signature]
9/10/23

(पूर्वी तिथारी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
सनावद प.नि

03. क्या अभियुक्तगण अतिक, सोहेल, अजहर, रियाज ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी अमित की मोटरसायकल एवं आहत् ज्योति के घर के कूलर, पंखे, अलमारी में तोड़-फोड़ कर रिष्टि कारित की ?
04. क्या अभियुक्तगण अतिक, सोहेल, अजहर, रियाज ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी ज्योति को उपहति कारित करने की तैयारी से प्रवेश कर गृह-अतिचार कारित किया ?
05. क्या अभियुक्तगण अतिक, सोहेल, अजहर, रियाज ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी अमित को संत्रास कारित करने के आशय से उसके घर में आग लगाने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

--: निष्कर्ष एवं विवेचना ::--

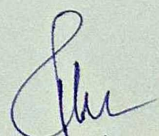
विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 के संबंध में -

06. प्रकरण के फरियादी अमित (अ0सा0-1) ने उसकी साक्ष्य में घटना वर्ष 2018 की होकर रात्रि लगभग 08:00-08:30 बजे, मटन मार्केट, राजमंदिर के नीचे, सनावद की होना बताया है। उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि वह घटना की रात्रि खाना खाकर परिवार के साथ बाहर बैठा हुआ था, तब 20-25 लड़के आये और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए उसके घर के सामने पथराव करने लगे। साक्षी के उक्त कथनों का समर्थन उसकी पत्नी दीपिका (अ0सा0-3) ने किया है। यह उल्लेखनीय है कि फरियादी और उसकी पत्नी ने उनकी साक्ष्य में अभियुक्तगण द्वारा उनके साथ गाली-गलौच करने के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं। ऐसी स्थिति में फरियादी की साक्ष्य में अभियुक्तगण पर आरोपित अपराध के संबंध में कथनों का अभाव है, जिस कारणवश अभियुक्तगण पर प्रश्नगत् घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी अमित के साथ गाली-गलौच कर उसे क्षोभ कारित करने का अपराध प्रमाणित नहीं होता है।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 02 के संबंध में -

07. फरियादी अमित (अ0सा0-1) ने उसकी साक्ष्य में यह व्यक्त किया है कि अभियुक्तगण अतिक, सोहेल, रियाज, अजहर पथराव कर रहे थे, जिस कारण वह घर के अंदर चला गया था और पथराव के दौरान उसे पैर में चोट आयी थी। इसी प्रकार अभियोजन साक्षी दीपिका (अ0सा0-3) ने भी उसकी साक्ष्य में घटना के समय अभियुक्तगण द्वारा पथराव करने के कारण उसके पति अमित को पैर में चोट आने के तथ्य का समर्थन किया है। इस संबंध में डॉ. राजेश बिरला (अ0सा0-10) ने उनकी साक्ष्य में दिनांक 29.06.2019 को आहत् अमित के मेडिकल परीक्षण के दौरान उसे दाहिने पैर पर रगड़ के निशान के साथ सूजन होने की पुष्टि की है, जो कठोर एवं खुदरी वस्तु से आना संभावित बताया है।

08. जहाँ तक अभियुक्तगण द्वारा स्वेच्छया उपहति कारित किये जाने


 9/10/23
 (पूर्वी तैयारी)
 न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
 सनावद, प.नि.

का प्रश्न है, इस संबंध में अभियुक्तगण का ऐसा कोई बचाव नहीं है कि आहत अमित ने उन्हें कोई गंभीर व अचानक प्रकोपन दिया हो। अभिलेख पर ऐसा भी कोई प्रमाण नहीं है जिससे यह परिलक्षित हो सके कि अभियुक्तगण को प्रतिरक्षा का अधिकार उत्पन्न हुआ था। जिस प्रकार अभियुक्तगण द्वारा आहत अमित के साथ पत्थर से मारपीट की गयी, उससे यह स्पष्ट है कि अभियुक्तगण अपने द्वारा किये जा रहे कृत्य के संभावित परिणाम "आहत अमित को शारीरिक पीड़ा कारित होना" निश्चित रूप से जानते थे। अतः अभियुक्तगण का कृत्य भा0दं0सं0 की धारा 39 एवं 321 के प्रावधान अनुसार स्वेच्छिक ही माना जायेगा। फलतः यह प्रमाणित होता है कि अभियुक्तगण अतिक, सोहेल, अजहर, रियाज द्वारा आहत संतोष से मारपीट कर उसे स्वेच्छ्या उपहति कारित की गई थी, जिनके आधार प्रकरण में पर्याप्त रूप से दर्शित होते हैं और वह भा.द.सं. की धारा-323 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।

09. यद्यपि अभियोजन साक्षी दीपिका ने उसकी साक्ष्य में भीड़ में उपस्थित अभियुक्तगण द्वारा उस पर पथराव करना बताया है, जिससे उसे चोट आयी थी। यह अवलोकनीय है कि प्रकरण के अभिलेख पर आहत दीपिका की कोई मेडिकल रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है और ना ही प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा उसके पुलिस कथनों में घटना के समय पथराव के कारण उसे चोट आने का वर्णन है। ऐसी स्थिति में मौके पर पथराव के कारण फरियादी की पत्नी दीपिका को चोट आने का तथ्य शंकास्पद होकर प्रमाणित नहीं होता है।

10. यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में अभियुक्तगण पर आहत ज्योति के संबंध में भी उसके साथ मारपीट करने का आरोप विरचित किया गया है, परन्तु अभियोजन साक्षी **ज्योति (अ0सा0-2)** ने उसके साक्ष्य में घटना के संबंध में कोई जानकारी ना होना बताते हुए उसके साथ कोई मारपीट ना होना व्यक्त किया है। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित करने के उपरांत भी उसने अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है और स्वयं के पुलिस कथन को भी अस्वीकार किया है।

11. अतः घटना दिनांक, समय स्थान पर आहत ज्योति के साथ की गयी मारपीट का तथ्य प्रमाणित नहीं होता है, किन्तु घटना दिनांक को आहत अमित को आयी चोटों की संपुष्टि चिकित्सक साक्षी की मौखिक साक्ष्य एवं उनके द्वारा दी गयी मेडिकल रिपोर्ट प्रदर्श पी-13 से होती है। आहत अमित को आयी चोटों के संबंध में उसकी साक्ष्य अखण्डनीय रही है और उन्हें साक्षीगण के प्रतिपरीक्षण के दौरान कोई विशेष चुनौती भी नहीं दी गयी है। ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण अतिक, सोहेल, रियाज एवं अजहर द्वारा घटना दिनांक, समय व स्थान पर आहत अमित के साथ पत्थर से मारपीट करने का तथ्य प्रमाणित होता है।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 03 के संबंध में -

12. फरियादी अमित (अ0सा0-1) ने उसकी साक्ष्य में घटना के समय 20-25 लड़कों के द्वारा घटनास्थल पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाना

[Signature]
9/10/23

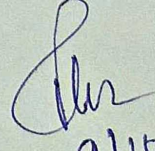
(पूर्वी सिवारी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
सनावद प.नि

और पथराव करना बताया है। इसके पश्चात् साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि कुछ समय बाद मौके पर 100-150 लोग आ गये थे और वे भी नारे लगाने लगे और उन्होंने पथराव चालू कर दिया। पथराव करने के संबंध में फरियादी अमित ने उसके मुख्य परीक्षण में अभियुक्तगण के नाम का उल्लेख किया है। इस संबंध में फरियादी अमित ने उसकी साक्ष्य में यह भी बताया है कि पथराव करते समय उसने विडियो बनाया था, किन्तु उक्त विडियो प्रकरण के अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है और ना ही उसे आर्टिकल मार्क कर साक्ष्य में प्रमाणित किया गया है।

13. प्रदर्श पी-01 की रिपोर्ट में फरियादी ने भीड़ शब्द का प्रयोग किया है, किन्तु प्रतिपरीक्षण की कंडिका 13 में 100-150 व्यक्तियों द्वारा लगातार पथराव करना बताया है। ऐसी स्थिति में उक्त 100-150 व्यक्तियों में पथराव के संबंध में अभियुक्तगण की विशिष्ट रूप से पहचान सुनिश्चित नहीं होती है। तोड़-फोड़ के संबंध में फरियादी अमित के कथनों का समर्थन उसकी पत्नी दीपिका ने किया है और उक्त साक्षी ने भीड़ के द्वारा उनके घर के बाहर खड़ी गाड़ी और घर के अंदर घुसकर तोड़-फोड़ करना बताया है, जिसमें 3,00,000-4,00,000/- रुपये का नुकसान हुआ है। इसके विपरीत फरियादी अमित ने उसकी साक्ष्य में पथराव के कारण 40,000/- रुपये का नुकसान होना बताया है, परन्तु विवेचक साक्षी **शकुंतला डोडवे (अ0सा0-11)** ने उनकी साक्ष्य में तोड़-फोड़ के दौरान फरियादी को 20,000/- रुपये का नुकसान होना बताया है। अतः अभिलेख पर आयी साक्ष्य में अभियुक्तगण द्वारा कथित रूप से की गयी तोड़-फोड़ के संबंध में फरियादी अमित के नुकसान को लेकर साक्षीगण ने भिन्न-भिन्न कथन किये हैं और उसकी संपुष्टि प्रदर्श पी-03 के नुकसानी पंचनामा से नहीं होती है।

14. नुकसान के संबंध में अभियुक्तगण पर आहत ज्योति के घर पर भी तोड़-फोड़ करने का आरोप विरचित किया गया है, परन्तु अभियोजन साक्षी ज्योति ने उसकी साक्ष्य में अभियुक्तगण द्वारा कथित रूप से उसके घर की गयी तोड़-फोड़ के विषय पर कोई कथन नहीं किये हैं। ऐसी स्थिति में आहत ज्योति की साक्ष्य से उसके घर पर अभियुक्तगण द्वारा तोड़-फोड़ कर नुकसान कारित करने का तथ्य प्रमाणित नहीं होता है।

15. जहां तक प्रश्न फरियादी अमित के घर हुई तोड़-फोड़ के नुकसान के बाबत है, तो फरियादी अमित ने उसकी साक्ष्य में घर के बाहर खड़ी मोटरसायकल में तोड़-फोड़ होना बताया है, किन्तु इसके ठीक विपरीत उसकी पत्नी दीपिका ने उसकी साक्ष्य में अभियुक्तगण द्वारा घर के अंदर रखे हुए सामान की भी तोड़-फोड़ करना बताया है। उक्त साक्षीगण एक ही परिवार के हैं, परन्तु उनके द्वारा तोड़-फोड़ के संबंध में विरोधाभासी कथन किये जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण द्वारा कथित रूप से की गयी तोड़-फोड़ के


9/10/23
(पूर्वी तिथारी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
सनावद, प.नि.

परिणामस्वरूप फरियादी को कारित नुकसान अथवा रिष्टि का तथ्य उनकी विरोधाभासी साक्ष्य से प्रमाणित नहीं होता है।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 04 के संबंध में -

16. अभियुक्तगण पर आहत ज्योति के घर पर उसे उपहति कारित करने की तैयारी से प्रवेश कर गृह-अतिचार कारित करने का आरोप विरचित किया गया है, किन्तु इस संबंध में आहत ज्योति (अ0सा0-2) ने उसकी साक्ष्य में कोई कथन नहीं किये हैं। अभियोजन साक्षी ज्योति ने घटना के संबंध में कोई जानकारी न होना बताते हुए, उसके समक्ष कोई घटना कारित ना होना बताया है। ऐसी स्थिति में स्पष्ट साक्ष्य के अभाव में अभियुक्तगण पर आरोपित अपराध अंतर्गत धारा-452 भा.दं.सं. प्रमाणित नहीं होता है।

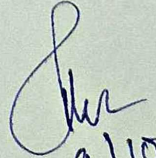
17. इसी प्रकार प्रकरण में पहचान साक्षीगण के रूप में अभियोजन द्वारा शाबीर (अ0सा0-4), इकबाल (अ0सा0-5) एवं जाकिर (अ0सा0-6) को परीक्षित कराया है, किन्तु उक्त साक्षीगण उनकी साक्ष्य पूर्ण रूप से पक्षविरोधी रहे हैं तथा उनके द्वारा घटना का ल्येश मात्र भी समर्थन नहीं किया गया है। अभियोजन साक्षी जाकिर एवं इकबाल ने उनकी ओर से साक्ष्य में तस्दीक पंचनामा प्रदर्श पी-05 को प्रमाणित नहीं किया है। इसके अतिरिक्त अभियोजन साक्षी जाकिर ने भी उसकी साक्ष्य में अंजुमन ईस्लाम कमेटी के लैटर पैड पर लेख किया गया आवेदन प्रदर्श पी-06 को भी प्रमाणित नहीं किया है। उपरोक्त साक्षीगण को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित करने के उपरांत उन्होंने स्वयं के पुलिस कथनों को अस्वीकार किया है और अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई कथन नहीं किये हैं।

18. अब्दुल हमीद (अ0सा0-7), शोहेब (अ0सा0-8), आमीर (अ0सा0-9) प्रकरण के गिरफ्तारी के साक्षीगण हैं, जिन्होंने उनकी साक्ष्य में गिरफ्तारी पत्रक को प्रमाणित ना करते हुए, पुलिस द्वारा उनके समक्ष अभियुक्तगण की गिरफ्तारी ना किया जाना व्यक्त किया है।

19. विवेचक साक्षी शकुंतला डोडवे (अ0सा0-11) ने उनकी साक्ष्य में विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा-मौका तैयार करना, नुकसानी पंचनामा निर्मित करना, अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक निर्मित करना तथा साक्षीगण के कथन उनके बताये अनुसार लेख करने की कार्यवाहियां करना बताया है।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 05 के संबंध में -

20. फरियादी अमित ने उसकी साक्ष्य में अभियोजन द्वारा उसे पक्षविरोधी घोषित करने के उपरांत इस सूचक प्रश्न को स्वीकार किया है कि अभियुक्तगण ने उसे धमकी दी थी कि वह उसके घर में आग लगा देंगे। यह


9/10/23
(पूर्वी तिवारी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
सनावद प.नि

उल्लेखनीय है कि भा.दं.सं. की धारा-503 के अनुसार आपराधिक अभित्रास हेतु साक्षी को संत्रास कारित होना आवश्यक है, किन्तु फरियादी ने उसके द्वारा लेख करायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट और पुलिस कथन में ऐसा कोई लेख नहीं किया है कि उसे अभियुक्तगण द्वारा दी गयी धमकी से किसी प्रकार से मानसिक संत्रास अथवा शारीरिक संत्रास कारित हुआ था। फरियादी ने घटना के तुरन्त बाद अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख करायी है। ऐसी स्थिति में यह भी दर्शित नहीं होता है कि फरियादी को अभियुक्तगण द्वारा दी गयी धमकी से भय अथवा संत्रास कारित हुआ था। परिणामस्वरूप अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रश्नगत् घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी को उसके घर आग लगाने की धमकी देकर संत्रास कारित करने का प्रश्न भी प्रमाणित नहीं होता है।

अंतिम आदेश

21. उपरोक्त साक्ष्य के विवेचन के आधार पर यह समक्ष आता है कि अभियोजन यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण रियाज, अजहर, सोहेल, अतिक ने दिनांक-19.06.2020 को लगभग रात्रि 09:30 बजे, पुलिस थाना सनावद अन्तर्गत, राजमंदिर गली स्थित फरियादी अमित के घर के बाहर लोकस्थान के समीप फरियादी अमित को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे एवं अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया, आहत् ज्योति से मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित किया और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में आहत् ज्योति के साथ पत्थर से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की, फरियादी अमित की मोटरसायकल एवं आहत् ज्योति के घर के कूलर, पंखे, अलमारी में तोड़-फोड़ कर रिष्टि कारित की, फरियादी ज्योति को उपहति कारित करने की तैयारी से प्रवेश कर गृह-अतिचार कारित किया एवं फरियादी अमित को संत्रास कारित करने के आशय से उसके घर में आग लगाने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। फलतः अभियुक्तगण रियाज, अजहर, सोहेल, अतिक को भा0दं0सं0 की धारा-294, 323 (आहत् ज्योति के संबंध में 01 काउंट), 452, 427, 506 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

22. परंतु अभियोजन अभियुक्तगण रियाज, अजहर, सोहेल, अतिक के विरुद्ध यह संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है कि उन्होंने घटना दिनांक, समय व स्थान पर आहत् अमित से मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित किया और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में आहत् अमित के साथ पत्थर से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की। फलतः अभियुक्तगण रियाज, अजहर, सोहेल, अतिक को भा0दं0सं0 की धारा-323 के अधीन दंडनीय अपराध के आरोप में सिद्धदोष पाते हुए दोषसिद्ध किया जाता है।

Shu
9/10/23

(पूर्वी तिवारी)
न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
सनावद प.नि

23. अभियुक्तगण को अपराधी परीवीक्षा अधिनियम, 1958 के प्रावधान का लाभ देने के संबंध में विचार किया गया। यद्यपि यह उनका प्रथम अपराध है परंतु अकारण किसी के साथ मारपीट करना गंभीर अपराध है और ऐसे अपराधों के लिए परीवीक्षा का लाभ देने से सामाज में बढ़ रहे उच्छृंखलता और बढ़ेगी। अभियुक्तगण परीवीक्षा का लाभ पाने के अधिकारी नहीं है। चूंकि अभियुक्तगण पर दोषसिद्धि का आरोपित भा0दं0सं0 की धारा-323 का अपराध समन ट्रायल है, इसलिए दण्ड के प्रश्न पर निर्णय स्थगित नहीं किया जा रहा है।

24. अभिलेख पर अभियुक्तगण की पूर्व दोषसिद्धि का कोई आधार नहीं है और न ही अभियोजन की ओर से ऐसा कोई तर्क ही किया गया है। अतः अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध की प्रकृति, आहत को आई चोटें, प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा दण्ड के सुधारात्मक सिद्धांत का दृष्टिकोण अपनाते हुये न्यायालय अभियुक्तगण रियाज, अजहर, सोहेल, अतिक को भा0दं0सं0 की धारा-323 के अपराध में दोषसिद्धि के फलस्वरूप **न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 1,000-1000/-रूपये अर्थदण्ड (एक हजार रुपये)** (चारों अभियुक्तगण पर अधिरोपित कुल अर्थदण्ड राशि 4,000/-रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना सारभूत दण्ड समझती है, तदनुसार दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदायगी में व्यतिक्रम कारित करने पर अभियुक्तगण रियाज, अजहर, सोहेल, अतिक को क्रमशः पंद्रह-पंद्रह दिन का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगताई जावे।

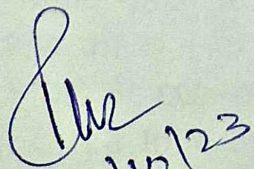
25. अभियुक्तगण रियाज, अजहर, सोहेल, अतिक के जमानत-मुचलके उन्मुक्त किए जाते हैं।

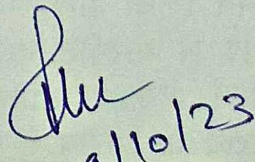
26. अभियुक्तगण रियाज, सोहेल, अतिक अनुसंधान एवं विचारण के दौरान निरोध अवधि में नहीं रहे हैं, किन्तु अभियुक्त अजहर दिनांक 01.07.2019 से दिनांक 05.07.2019 तक कुल 04 दिवस निरोधावधि में रहा है। इस संबंध में धारा-428 दं0प्र0सं0 का प्रमाणपत्र पृथक से तैयार किया जावे जो निर्णय का भाग होगा।

27. प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं है।

निर्णय दिनांकित व हस्ताक्षरित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित किया।


(पूर्वी तिवारी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
सनावद प.नि


(पूर्वी तिवारी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
सनावद प.नि